

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-2

संख्या-88/2015/1616/सेक-2-पांच-15-1(12)/2013टी0सी0

लखनऊ :: दिनांक : 01 जून, 2015

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 यथा संशोधित (सप्तम् संशोधन) नियमावली, 2012 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 14,300-18,300 यथा संशोधित वेतनमान रू0 37,400-67,000 ग्रेड-पे-8700) के निम्नलिखित चिकित्साधिकारियों को लेवल-5 अपर निदेशक ग्रेड (वेतनमान रू0 16,400-20,000 यथा संशोधित वेतनमान- रू0 37,400-67,000 ग्रेड पे-8900) के रिक्त पदों पर प्रोन्नत करते हुए उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात किये जाने हेतु श्री राज्यपाल सहायक स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	वरि०क्रमां०	अधिकारी का नाम
1	5083	डा० नूपुर सिन्हा चौरसिया
2	5086	डा० निशी मिश्रा
3	5087	डा० शैला त्रिपाठी
4	5093	डा० परवीन जहां
5	5094	डा० सुधा रस्तोगी

2- उपर्युक्त प्रोन्नत चिकित्साधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव।


संख्या-88/2015/1616(1)/सेक-2-पांच-15, तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (प्रथम), उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने स्तर से संबंधित चिकित्साधिकारियों को परिचालित कराने एवं उक्त सूची को विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
- 5- निदेशक (महिला), चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद को गजट के आगामी अंक के प्रकाशनार्थ।

- 7- निदेशक, राज्य स्वास्थ्य संस्थान, अलीगंज, लखनऊ।
- 8- अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ/अलीगढ़/वाराणसी/मेरठ मण्डल।
- 9- प्रमुख अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, वाराणसी/मेरठ।
- 10- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, अलीगढ़।
- 11- कोषाधिकारी, लखनऊ/अलीगढ़/वाराणसी/मेरठ।
- 12- संबंधित चिकित्साधिकारियों इस निर्देश के साथ कि तत्काल अपनी वर्तमान तैनाती स्थान पर योगदान करते हुए योगदान आख्या शासन/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को उपलब्ध करायें।
- 13- गार्ड बुक।

आज्ञा से,


(जी०सी० कठेरिया)

संयुक्त सचिव।